झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–88 वर्ष 2008

अनिल यादव .... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री अनंत बिजय सिंह

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री नन्दन प्रसाद, अधिवक्ता।

राज्य के लिए:– ए0पी0पी0।

04 / दिनांक:27 / 07 / 2018

याचिकाकर्ता ने विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश–I, साहिबगंज द्वारा आपराधिक अपील सं0 17 / 2005 में पारित दिनांक 22.05.2017 के दोषसिद्धि के आदेश और सजा के फैसले से व्यथित और असंतुष्ट होकर वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण दायर की है, जिसके द्वारा और जिसके तहत विद्वान एस0डी0जे0एम0, साहिबगंज द्वारा जी0आर0 सं0 355 / 2003 एवं टी0आर0 सं0 726 / 2005 में दिनांक 04.07.2005 के दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश पारित किया गया, को पुष्टि की गई जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया गया था और

उसे तीन साल की सजा सुनाई गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से, यह प्रतीत होता है कि यह आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दिनांक 07.02.2008 को दायर किया गया था और इसे 13.03.2008 को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था और निचली अदालत के अभिलेख की मांग की गई थी और आपराधिक पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को जमानत दिया गया था।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अति0 लो0 अभि0 को सुना।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को भा0दं0सं0 की धारा 392 के तहत दोषी ठहराया गया था और उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई जिसे अपीलीय न्यायालय ने बरकरार रखा। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता लगभग दो साल से हिरासत में है यानि दिनांक 11.12.2003 से 07.09.2005 तक और दोषसिद्धि के बाद दिनांक 23.11.2007 से 13.03.2008 तक और उसे पर्याप्त रूप से दंडित किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता की सजा को उसके द्वारा पहले ही काट ली अवधि तक कम किया जा सकता है।

विद्वान अत0 लो0 अभि0 ने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलील का विरोध किया।

अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता लगभग दो साल यानि 11.12.2003 से 07.09.2005 तक और दोषसिद्धि के बाद 23.11.2007 से 13.03.2008 तक हिरासत में रहा। इसलिए, न्याय तभी मिलेगा जब याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है और सजा को उसके द्वारा पहले ही काट ली गई अवधि तक कम कर दिया जाता है।

उक्त परिस्थितियों में, इस आपराधिक संशोधन को विचारण अदालत द्वारा की गई सजा में संशोधन के साथ खारिज कर दिया जाता है और अपीलीय न्यायालय द्वारा इस आशय से बरकरार रखा जाता है कि याचिकाकर्ता को दी गई सजा को उसके द्वारा पहले ही काट चुकी सजा तक कम कर दिया जाता है।

याचिकाकर्ता को उसके जमानत बांड की देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

एल0सी0आर0 को तुरंत निचली अदालत में प्रेषित किया जाए।

(अनंत बिजय सिंह, न्याया0)